झारखण्ड उच्च न्यायालय, राँची में

डब्ल्यू0पी0 (सी0) सं0–265 वर्ष 2017

1. अनिल कुमार सिंह

2. शिव प्रसन्न सिंह

3. गजेंद्र सिंह .... याचिकाकर्त्ता

बनाम्

1. झारखंड राज्य, द्वारा अपने प्रमुख सचिव, वन विभाग

2. वन प्रमण्डल पदाधिकारी, बोकारो वन प्रमण्डल, बोकारो

3. वन क्षेत्र पदाधिकारी, चास, बोकारो

4. बीट अधिकारी, चास, बोकारो .... उत्तरदातागण

कोरम : **माननीय न्यायमूर्ति श्री अपरेश कुमार सिंह**

याचिकाकर्त्ताओं के लिए :– मेसर्स इंद्रजीत सिन्हा, कृषाणु राय, अधिवक्तागण

उत्तरदाता–राज्य के लिए :– श्री अतनु बनर्जी, जी0ए0

02 / 02.02.2017 बचे हुए दोष को नजरअंदाज याचियों के अधिवक्ता के इस निवेदन पर किया जाता है कि आक्षेपित अनुलग्नक–4 की प्रमाणित प्रति उपलब्ध नहीं कराई गई है।

2. याचिकाकर्त्ताओं और राज्य के अधिवक्ता को सुना गया।

3. प्रतिवादी सं0 2–सह–वन प्रमण्डल पदाधिकारी, बोकारो वन प्रमण्डल द्वारा बी0पी0एल0ई0 वाद सं0 139 / 2016 में पारित दिनांक 14.12.2016 के आदेश जिसमें कंदरा

मौजा, थाना–चास, थाना सं0 51 का पलॉट नं0 5249, क्षेत्रफल 5.19 एकड़ से अतिक्रमण 14 दिनों की अवधि के भीतर हटाने का निर्देश दिया गया, से व्यथित होकर याचिकाकर्त्ता वर्तमान रिट आवेदन से इस न्यायालय में आए हैं, जिसमें बचाव के लिए पर्याप्त अवसर की कमी है और गुणागुण के आधार पर अन्य आधार के अवसर के अभाव का आरोप लगाया है।

4. उत्तरदाता–राज्य के विद्वान अधिवक्ता हालांकि यह स्वीकार करते हैं कि बिहार सार्वजनिक भूमि अतिक्रमण अधिनियम, 1956 (अब झारखंड) की धारा 11 के प्रावधानों के तहत अपील किया जा सकता है, जहां याचिकाकर्त्ताओं द्वारा ऐसे सभी आधार लिये जा सकते हैं।

5. याचिकाकर्त्ताओं के विद्वान अधिवक्ता ने कहा कि आदेश का निष्पादन आंशिक रूप से किया गया है और याचिकाकर्त्ताओं की चारदीवारी को ध्वस्त कर दिया गया है, याचिकाकर्त्ताओं को अपीलीय उपाय लागू करने में सक्षम होने तक कुद समय के लिए अंतरिम संरक्षण दिया जा सकता है।

6. रिकॉर्ड पर संबंधित तथ्यों के आलोक में पार्टियों के प्रस्तुतीकरण पर विचार करने के बाद, इस स्तर पर, यह न्यायालय अपील के वैकल्पिक वैधानिक उपाय की उपलब्धता के कारण मामले को गुणागुण पर जाने का इच्छुक नहीं है। यदि आज से दो सप्ताह की अवधि के भीतर अपील की जाती है, तो इस तथ्य को ध्यान में रखते हुए कि याचिकाकर्त्ता इस न्यायालय के समक्ष अपने उपचार का अनुसरण कर रहे थे, अपीलीय न्यायालय के समक्ष अपने उपचार का अनुसरण कर रहे थे, अपीलीय न्यायालय द्वारा दरी

के प्रश्न पर सहानुभूतिपूर्वक विचार किया जाएगा। आज से दो सप्ताह की अवधि के लिए, उत्तरदाता बी0पी0एल0ई0 वाद सं0 139/2016 में पारित दिनांक 14.12.2016 के आक्षेपित आदेश के आलोक में कोई भी कठोर कदम नहीं उठाएगा। इसके बाद, याचिकाकर्त्ताओं पर निर्भर है कि वे अपीलीय न्यायालय से अंतरिम संरक्षण प्राप्त करें। तद्नुसार, रिट याचिका का निपटारा किया जाता है।

(अपरेश कुमार सिंह, न्याया0)